संख्या : 29/2016/216/छप्पन-2016-20/2008

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 29 मार्च, 2016

विषय : राजकीय हवाई पट्टी, पलिया, खीरी की रि-सरफेसिंग, विस्तार तथा अन्य सम्बद्ध कार्यों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 699-700/ए0एस0-68जी-85/2015, दिनांक 21.11.2015 एवं संख्या - 941/ना0उ0नि0/पलिया ह0पट्टी, दिनांक 2.2.2016 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या - 1622/छप्पन-14-20/2008, दिनांक 13.2.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय हवाई पट्टी, पलिया, खीरी की रि-सरफेसिंग, विस्तार तथा अन्य सम्बद्ध कार्यों के सम्पादन हेतु शासनादेश संख्या- 1622/छप्पन-2014-20/08, दिनांक 13.2.2015 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित धनराशि से कार्यदायी संस्था राइट्स लि0 द्वारा गठित आगणन रूपये 8,29,65,000/- के सापेक्ष रूपये 7,47,54,000/- (रूपये सात करोड़ सैंतालिस लाख चौवन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रूपये 3,70,00,000/- (रूपये तीन करोड़ सत्तर लाख मात्र) की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गई है। इसके पश्चात प्रायोजना की लागत को शासनादेश संख्या- 81/2015-1182/छप्पन-2015-20/2008, दिनांक 15.10.2015 द्वारा पुनरीक्षित आगणन रूपये 8,24,00,000/- के सापेक्ष रूपये 7,93,06,000/- (रूपये सात करोड़ तिरानबे लाख छः हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

2- उक्त स्वीकृति के पश्चात निदेशक ने कार्यदायी संस्था के पत्र संख्या- राइट्स/एप/यू0पी0एस0सी0ए0/पलिया/2015, दिनांक 30.10.2015 के माध्यम से अवगत कराया गया कि पुनरीक्षित आगणन कान्ट्रेक्टर द्वारा Quote की गई वास्तविक दरों के आधार पर तैयार किया गया था, अतः पुनरीक्षित आगणन में की गयी कटौती की धनराशि रूपये 30,94,000/- के कारण रनवे विस्तारीकरण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। आगणन की सम्पूर्ण धनराशि रूपये 8,24,00,000/- की स्वीकृति प्रदान कर दी जाय। तत्क्रम में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रूपये 8,24,00,000/- आंकलित की है। अतः राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित एक मुश्त धनराशि से कार्यदायी संस्था राइट्स लि0 द्वारा गठित पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष पुनरीक्षित लागत रूपये 8,24,00,000/- (रूपये आठ करोड़

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

चौबीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 4,03,88,000/- (रूपये चार करोड़ तीन लाख अट्ठासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि एवं शासनादेश संख्या- 1622/छप्पन-15-20/08, दिनांक 13.2.2015 द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि रूपये 3,70,00,000/- (रूपये तीन करोड़ सत्तर लाख मात्र) का उपयोग पूर्ण रूप से किए जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि का प्रस्ताव आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाय।

4- शासनादेश संख्या- 1622/छप्पन-2014-20/08, दिनांक 13.2.2015 एवं शासनादेश संख्या-81/2015-1182/छप्पन-2015-20/2008, दिनांक 15.10.2015 में इंगित शर्तें/ प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगी।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा के अन्तर्गत लेखा शीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-261/दस-2016, दिनांक 29 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 29/2016/216(1)/छप्पन-2016-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in